Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, SEPT-OCT, 2020, VOL- 8/61

भारत में धर्मनिरपेक्षता पर समसामायिक विमर्श

ईश्वर स्वरूप सहाय, Ph. D.

अस्सिटेण्ट प्रोफेसर, विभागः समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, संकायः समाज विज्ञान दयालबाग़ एजूकेशनल इन्स्टीटयूट् (डीम्ड विश्वविद्यालय) आगरा,282005

Email id: ishwar.sahay@gmail.com

Abstract

यद्यपि समकालीन भारत में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक, राजनीतिक पटल पर एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में प्रतिस्थापित हुई है लेकिन सामाजिक वैज्ञानिकों के मध्य इस आवधारणा के संदर्भ व्यापक विभिन्नताएं परिलक्षित होती है। अतएव इसके संगोपांग एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेशण हेतु यह आवश्यक है कि धर्मनिरपेक्षता के विभिन्न आयामों का विराद विवेचन किया जाए। अतः धर्मनिरेपक्षता का एक सिद्धान्त के रूप में तथा भारतीय संदर्भ मे धर्मनिरपेक्षता से जुडे आयामों के बारे में प्रासंगिक, समसामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य संकेतक *(Abstract) : धर्म, राजनीति, धर्मनिरपेक्षता*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

भारतीय समाज एक बहुधर्मी समाज है जहां पर विभिन्न धर्मो का एक साथ समान रूप से महत्व पाया जाता है। लेकिन धर्म व्यक्ति के लिए आस्था का ऐसा विशय बन जाता है कि लोग उसकों स्वयं में एक सम्प्रदाय के दृश्टिकोण से देखने लगते है। उसको देखने का जो नजरिया होता है कि वह बहुत संकीर्ण होता जा रहा है। भारत आज से ही नही बल्कि प्राचीन काल से ही एक धर्म निरपेक्ष देश रहा है। लेकिन विगत कुछ दशकों से धर्मनिपेक्षता से सम्बन्धित एक ऐसी बहस चली है कि जनमानस को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी सन्दर्भ में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने से पूर्व यह स्पष्ट करना अधिक महत्वपूर्ण होगा कि धर्म क्या है, क्योकि विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों के मतो में धर्म को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। **दुर्खीम (1912)** धर्म को एक अनुभव सम्बन्धित कार्य मानते है जो हमें समझने के तरीके से अवगत कराता है तथा एक सामाजिक तथ्य है वहीं

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

मैक्स वेबर(1963) धर्म को आर्थिक आयाम से जोडते हुए कहते है कि यह आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और धर्म को समझने का आधार वस्टेहन होना चाहिये।

महात्मा गाँधी(2009) ने तथापि धर्म एवं राजनीति के परस्पर सम्बन्धों पर बल दिया परन्तु वह स्पष्ट करते हैं धर्म को राजनीतिक स्वार्थी को पूरा करने के लिये नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ विचारक धर्म को सार्थक बौद्धिक क्रियाकलाप से सम्बन्धित करते हुए कहते हैं कि धर्म मानवीय जीवन के अर्थ एवं उद्देश्य से परिचित करवाता है तथा सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था के परिचालन हेतु आवश्यक नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ

सामान्य अर्थ में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म के राजनीति से पृथक्करण से है, लेकिन पृथक्करण अपने आप में एक ऐसा जटिल शब्द है, जिसका भिन्न–भिन्न समाजों में भिन्न–भिन्न अर्थो मे इसका प्रयोग किया गया है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार– ''धर्मनिरपेक्ष वह व्यक्ति है जो केवल लौकिक बातों से सम्बन्धित हो, धार्मिक मामलों से नहीं।''

वहीं साम्यवादी विचारधारा पर आधारित समाज में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य गैर धार्मिक या धर्म–विरोधी प्रवृत्ति से लिया जाता है। पा चात्य समाज के सामान्यतः यह एक ऐसे सिद्वान्त के रूप में प्रतिपादित किया गया है। जिसका उद्देश्य राज्य एवं गिरजाघर के बीच पृथक्करण की स्पष्ट व्यवस्था स्थापित करना है अर्थात् धर्म या विश्वास को व्यक्तिगत अन्तरात्मा की सीमा में बाँधते हुए सार्वजनिक कार्यो एवं नीति निर्माण से अलग की व्यवस्था की गयी क्योंकि इन मामलों मे राजनीति एवं राज्य के अनन्य क्षेत्राधिकार में डाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान बनने के पश्चात संदर्भ में स्पष्टता आयी, इसके अनुसार राज्य ना तो धार्मिक संगठनो के क्रियाकलाप के हस्तक्षेप करेगा और ना ही गिरिजाघर राज्य के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप या दखलंदाजी करेगा, परन्तु साथ ही साथ राज्य का यह कर्तव्य भी होगा कि व्यक्ति को अपनी इच्छानुरूप धर्म पालन का अधिकार प्रदान करे (सिन्हा 2012: 297)।

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पाश्चात्य समाज में धर्म एवं राजनीति का जो पृथक्करण प्रचलित हुआ वह भारत में संभव प्रतीत नहीं होता क्योंकि आधुनिक भारतीय सभ्यता तत्कालीन पाश्चात्य सभ्यता से भिन्न है जब वहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ था। अतः भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य के आधार के रूप में पृथक्करण के पश्चिमी सिद्धान्त का पुर्नमूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि यहाँ की विभिन्न स्थितियाँ अपनी विशिष्ट कठिनाइयों के साथ रचनात्मक दृष्टिकोण की माँग करती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की माँग है कि राजनीति व धर्म के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध ना हो, क्योंकि ऐसा सामान्यतः सांप्रदायिक राजनीति के दिखता है। यही कारण है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सर्वधर्म समभाव का रहा है (भार्गव 1997)।

भारत में धर्मनिरपेक्षता

स्वाधीन भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने औपनिवेशिक काल के विभाजन की रणनीति से प्रेरित होकर उत्पन्न साम्प्रदायिक ताकतों की चुनौती को एक धर्मनिरपेक्ष सवैंधानिक सिद्धान्त की अवधारणा से पराजित करने का एक कठिन प्रयास किया है। इस सिद्धान्त को सवैंधानिक बल प्रदान करने हेतु मुख्यतः संविधान के अध्याय तीन तथा चार में वर्णित मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जिस प्रकार वर्णन किया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि भारत ने अपने बहुधर्मी, बहुजातीय समाज धर्मनिरपेक्षता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। **भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता से सम्बन्धित प्रावधान**

- अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता तथा कानून द्वारा संरक्षण में समानता की बात करता है।
- अनुच्छेद 15 (i) व (ii) धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति तथा जन्म स्थान इत्यादि आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है।
- अनुच्छेद 16 (2) सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है तथा यह भी सुनिश्चित करता है किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर किसी भी सरकारी पद में वंचित नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत सभी नागरिकों को बिना किसी भेद–भाव के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंन्त्रता, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार, सभा–सम्मेलन करने की

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

स्वतंत्रता, संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के भीतर कहीं भी घूमने–फिरने की स्वतंत्रता, देश के किसी की भाग में निवास करने या स्थायी रूप रहने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपनाने इत्यादि का अधिकार सुनिश्चित करता है।

- अनुच्छेद 23 (2) किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किये जाने वाले अनिवार्य कार्य में राज्य किसी भी प्रकार का या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने की अनुमति है।
- अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबन्धन की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिये किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है।
- अनुच्छेद 29 तथा 30 अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि एवं संस्कृति को संरक्षित करने हेतु

  एवं शिक्षण संस्थाए स्थापित करने हेतु विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य यह प्रयास करेगा कि समाज के सभी व्यक्तियों के लिये

  सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित किया सके।
- अनुच्छेद 39 राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिये रोजगार के साधन जुटाने का प्रयास करेगा तथा राज्य की आर्थिक नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे देश में भौतिक साधनों का उचित वितरण सर्वाधिक लोगों के हित में हो।
- अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य सामाजिक धर्मनिरेक्षता की प्राप्ति हेतु समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- अनुच्छेद 325 के अन्तर्गत पृथक निर्वाचन क्षेत्र को निषेध किया गया है अर्थात् किसी की धर्म जाति, भाषा, रंग आदि के लिये अलग–अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान नहीं किया जा सकता है।

यद्यपि 42 वें सवैंधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का प्रयोग करके राज्य व धर्म दोनों संस्थाओं को औपचारिक विभाजन तो कर दिया गया परन्तु साथ ही साथ राज्य को कुछ मामलों में धार्मिक स्वंतत्रता की कांट–छाट करने हेतु हस्तक्षेपीय अधिकार भी दिये गये हैं जैसे अनुच्छेद 25 (i) तथा अनुच्छेद 26 के अनुसार सार्वजनिक हित, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के मद्देनजर राज्य स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। पुनः अनुच्छेद 25 (2) (9) के अनुसार किसी धार्मिक, राजनैतिक, वित्तीय या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों मे भी राज्य का हस्तक्षेप हो सकता है, साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत किसी धार्मिक स्थल को क्षति पहुँचाने किसी धर्म का अनादन किये जाने या साम्प्रदायिक दंगे को मडलाने जैसी परिस्थिति के राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त भारतीय संसद ने प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु सार्वजनिक हित, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के मद्देनजर कई नियम एवं कानूनो का निर्माण दिया है, जिसका उद्देश्य धर्म के गलत प्रयोग को रोकने से है।(सईद 2011)

धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दृश्टिकोण

अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष के प्रश्न पर बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक के विचार परस्पर विरोधी परिलक्षित होते है, जहाँ बहुसंख्यक इसे अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टीकरण की नीति मानते है, वही अल्पसंख्यक इसे छलवापूर्ण धर्मनिरपेक्षता के रूप स्वीकार करते है, उनका मानना है कि यह उनके अधिकारों का संरक्षण करता है। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त की सकारात्मक व्याख्या तथा क्रियान्वयन नही होने के कारण इसकी निहित स्वार्थ के आधार पर आलोचना की जाती रही है। ऐसा होने से एक तरफ तो सम्प्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है वहीं दूसरी तरफ भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर भी निरंतर खतरे में बादल मंडराते नजर आते है। इस सन्दर्भ मे राजीव मार्गव कहते है कि धर्मनिरपेक्षता के भारतीय स्वरूप मे पृथक्करण का सिद्धान्त धर्म और राजनीति के बीच एक सैद्धान्तिक दूरी के रूप में समझा जाना चाहिए। यहाँ सिद्धान्त की दूरी को राजनीति की

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

धर्म में स्वतंत्रता के रूप में देखने की आवश्यकता है, ना कि इसके प्रतिमूल रूप में अर्थात राज्य के क्रिया कलाप, राजनीतिक नीति तथा नीति प्राथमिकताऐं धर्म की दखलंदाजी से स्वतंन्त्र है, परन्तु राज्य को धार्मिक सुधार हेतु हस्तक्षेप का अधिकार भी प्राप्त है जिसका निर्धारिण गम्भीर मुद्दो के आधार पर तथा विवेक सम्मत आधार पर होना होगा। इतना ही नही सभी विश्वास (प्रथाऐं) भले ही धर्म द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, जैसे कि अस्पृश्यता, जाति–भेद, बहु–विवाह, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का बहिष्कार तत्काल अवैद्य घोषित करनी होगी। ऐसा इसलिये आवश्यक होगा क्योंकि यह संविधान की उस नियामक व्यवस्था के लिये अहितकारी है, जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रबल जनता की भागेदारी के माध्यम से अंतर्ग्रस्त मूल्यों के सामांजस्प पर आधारित है (भार्गव एवं आचार्य 2011: 285–286)।

पार्ट चटर्जी(1997) के विचार मे जब राज्य धर्म–सुधार जैसे कानून बनाता है तो राजनैतिक नेतृत्व द्वारा राज्य व धर्म के विभाजन का अतिक्रमण या शोषण जैसा प्रतीत होता है।

वही आशीष नंदी एवं एम.एन. श्रीनिवास (1965)जैसे विश्लेषक भारत के धर्मनिरपेक्षता को और सशक्त करने हेतु किसी नयी विचारधारा के प्रयोग की बात करते है जिससे समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक संकटों का निराकरण किया जा सके।

धर्मनिरपेक्षता को बनाये रखने के उपाय

1. राजनीतिक एकता तथा आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिये आर्थिक विकास के समान अवसरों को उपलब्ध करवाना चाहिए।
2. भारतीयों की मनोस्थिति, उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को समझना अत्यन्त आवश्यक है।
3. राजनीतिक नेतृत्व से अपेक्षित है कि वह जन–मुद्दो को महत्व व प्राथमिकता दे ना कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपने स्वार्थो की पूर्ति करे।
4. धर्मनिरपेक्ष परिस्थितियों को अनुकुल बनाने मे राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन तथा गैर–सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें।
5. अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक समुदायों के मध्य सामजस्य स्थापित करने तथा उनके द्वेष को समाप्त करने की ऐसी तकनीक विकसित की जाए की वह परस्पर एक

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

दूसरे के धर्म को आदर सम्मान देना सीखे अर्थात् रूढिवादी संकीर्ण सोच के स्थान पर उदारवादी सोच को अपनाये।

6. अनेकता के एकता जैसे सिद्धान्त को महत्व दिया जाए।

समापन अवलोकन

उपरोक्त वर्णन के आधार पर निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है धर्मनिरपेक्षता आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की एक महत्वपूर्ण पहचान है जिसके द्वारा वह राज्य के प्रचलित सभी धर्मो के सभी नागरिकों को समान धार्मिक अधिकार प्रदान करते है जिससे प्रत्येक धार्मिक समुदाय के लोग अपनी–अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप अपना धार्मिक आचरण स्वतंत्र रूप से कर सके तथा बिना किसी आन्तरिक या बाह्य हस्तक्षेप के अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सके, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्हे यह अधिकार भी प्राप्त नही है कि वह अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने के लिये किसी दूसरे धर्म की मान्यताओं का अनादर करे, यदि वह ऐसा करते है तो राज्य को इस परस्थिति में हस्तक्षेप करते सामजंस्य स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नही कर सकता बल्कि इसका आर्थिक अर्थ यह है कि राज्य सभी धर्मो के प्रति समान व्यवहार करेगा तथा किसी धर्म के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नही करेगा लेकिन आवश्यकतानुसार, सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिऐ समुचित हस्तक्षेप कर सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

भार्गव आर. एवं आचार्य ए.(2011) राजनीतिक सिद्धान्त एक परिचय, पीयरसन पब्लिकेशन, दिल्ली, पेज 285–286

भार्गव आर. (1997) सेकुलरिज्म एंड इट्स क्रिटीक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस दिल्ली।

चटर्जी पी.(1997) स्टेट एण्ड पालिटिक्स इन इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

दुर्खीम ई. (1912) द एलीमेन्ट्री फार्म आफ रिलीजियस लाईफ, लन्दन : जार्ज ऐलेन एवं अनविन लिमिटेड।

गांधी एम. के. (2009) सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पाम लीफ प्रेस।

आक्सफोर्ड एडवांस्ट लर्निग डिक ानरी ऑफ करेन्ट इंग्लिंग, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी पब्लिकेशन, 1997.

सईद एम.एम.(2011), भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत बुक सेन्टर पब्लिकेशन, लखनऊ, पेज–404–411

सिन्हा मनोज (2012) समकालीन भारत एक परिचय, ओरिंपट ब्लैकस्वॉन पब्लिकेशन, पेज–297

श्रीनिवास एम.एन (1965) सो ाल चेंज इन मार्डन इण्डिया, यूनिवर्सिटी कैलीफोर्निया प्रेस।

वेबर मैक्स (1963) द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, बेअकान प्रेस

https://www.jstor.org/stable/23003710?seq=1

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies